न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0–02, मेरठ।
उपस्थित : स्वाति सिंह उ0प्र0 न्यायायिक सेवा
परिवाद : 10038/22
श्रीमती रजिया पत्नी श्री जीशान पुत्री श्री अनवर निवासी इस्लामनगर कमालपुर थाना मेडिकल जिला मेरठ।

.....परिवादिनी

बनाम

1. जीशान पुत्र श्री सल्लम
2. सल्लम पुत्र नामालूम
3. श्रीमती फैमिदा पत्नी सल्लम
4. श्रीमती शबनम पत्नी महराज
5. महराज पुत्र नामालूम
6. उमर पुत्र यामीन

.....विपक्षीगण

धारा–12,17,18,19,20,22,23 घरेलु हिंसा एवं नारी संरक्षण अधि0 2005
थाना– मैडिकल, मेरठ।

<u>एक पक्षीय निर्णय</u>

प्रस्तुत फौजदारी वाद का न्यायिक परीक्षण परिवादिनी श्रीमती रजिया की ओर से विपक्षीगण जीशान, सल्लम, श्रीमती फैमिदा, श्रीमती शबनम, महराज, उमर के विरूद्ध धारा 12,17,18,19,20,22,23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अन्तगर्त तलब किये जाने के आधार पर किया गया।

संक्षेप में परिवाद के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिनी का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 06.06.2020 को प्रार्थिनी/परिवादिनी के पिता के निवास स्थान विपक्षी सं0 01 के साथ सम्पन्न हुआ था। उपरोक्त शादी में परिवादिनी के पिता द्वारा अपनी हैसियत से अधिक करीब 8,00,000/–रू0 आठ लाख रूपये खर्च कर परिवादिनी की गृहस्थी हेतु सभी सामान कीमती फर्नीचर, फ्रिज, वांशिग मशीन, एल0ई0डी0 बुलट मोटर साईकिल, कूलर, सोने चांदी के जेवर एवं कीमती कपड़े आदि सामान दिया था। विपक्षीगण शादी में दिये गये सामान आदि से खुश नहीं थे। विपक्षीगण ने कहा कि जब तक एक लाख रूपया व स्वीफ्ट डिजायर गाड़ी लाकर नहीं देती तब तक इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। दिनांक 05–07–2020 को रात्रि के समय पति व अन्य ने संयुक्त रूप से रात्रि के समय गाली गलौच व मारपीट कर मात्र पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल कर भगा दिया। परिवादिनी जैसे तैसे अपने मायके पहुंची तथा ससुरालीजनों द्वारा मारपीट कर घर से निकाले जाने व मांगी गयी एक लाख रूपया व कार की बाबत बताया गया। समाज के कुछ सम्मानित व गणमान्य लोगों के बीच बात रखी तब उनके द्वारा समझाने पर परिवादिनी को उसका पति मायके ले आया। कुछ समय ठीक ठाक रखने के बाद फिर से वही मांग दोहराई जाने लगी तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा तथा मारपीट करने लगा और मोटर साईकिल पर बैठाकर परिवादिनी को उसके घर बाहर छोड़कर आ गया। विपक्षीगण परिवादिनी के मायके पहुंचे तथा घर में घुसकर परिवादिनी पर प्राण घातक हमला किया व मरणासन्न अवस्था में पहुंचा दिया चीख पुकार सुन घर वालों व पड़ौसियों आदि के आ जाने पर पति तीन तलाक देते हुए पुनः जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। जिससे कई दिनों तक परिवादिनी अस्पताल में भर्ती रही। परिवादिनी का पति जो स्वयं का ट्रेक्टर डम्फर व जे0सी0बी0 मशीन लेकर मिटटी भराव का कार्य करता है जिससे उसको अस्सी हजार रूपया प्रति माह की आय होती है। परिवादिनी ने यह अनुतोष चाहा है कि विपक्षी सं0 01 व उसके परिवार वालो को आदेशित किया जाये कि वह परिवादिनी के साथ कोई घरेलू हिंसा न करें। परिवादिनी को जिस गृहस्ती से बेदखल किया है, उसमें रहने की इजाजत दी जावे तथा परिवादिनी के जीवन में कोई हस्क्षेप न करें

तथा परिवादिनी का जो स्त्रीधन उनके कब्जे में है, उसे परिवादिनी को दिलाया जाये। परिवादिनी को उसके स्तर के अनुसार वैकल्पिक निवास स्थान की सुविधा उसके किराये संदाय करने व दो लाख रूपया चिकित्सा आदि की बाबत दिलाये जाये। घर से निकालने के कारण शारीरिक व मानसिक क्षति की बाबत एक मुश्त छः लाख रूपये घरेलू हिंसा के प्रतिकार के रूप में दिलाये जाये।

विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण हाजिर हुए तथा उनकी ओर से आपत्ति दाखिल नहीं की गई न ही बाद में विपक्षीगण उपस्थित आये, जिस कारण विपक्षीगण के विरूद्ध परिवाद की कार्यवाही दिनांक 15.02.2023 को एक पक्षीय अग्रसारित की गयी।

पत्रावली पर जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या संलग्न है।

परिवादिनी की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

परिवादिनी ने स्वयं शपथ बयान में कथन किया है कि विपक्षीगण शादी में खर्च किये गये रूपये से संतुष्ट नहीं थे तथा उसके साथ मारपीट कर एक लाख व स्वीफ्ट डिजायर कार लाने का दबाव डालते थे। जिस कारण उसे मारपीट कर दिनांक 06.07.2020 व 20.01.2022 को घर से निकाल दिया। परिवादिनी ने अपने शपथ पत्र में यह भी कथन किया है कि विपक्षीगण द्वारा उसके साथ दहेज की मांग की बाबत मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। परिवादिनी दिनांक 20.01.2022 से अपने मायके में रह रही है तथा उसकी आय का कोई स्रोत नहीं है। विपक्षीगण ने उसे आज तक भरण पोषण धन नहीं दिया है।

विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आये तथा उनकी तरफ से अपने बचाव में कोई अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया।

न्यायालय द्वारा उक्त वाद के समन विपक्षी को भेजे गये, जो कि विपक्षी पर तामील हुए, परन्तु विपक्षी न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। जिस कारण न्यायालय द्वारा विपक्षी पर दिनांक 15.02.2023 को को तामीला पर्याप्त मानते हुए बाद में एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित किये जाने का ओदश पारित किया गया।

मैंने परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण में सर्वप्रथम मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या परिवादिनी एवं विपक्षीगण के साथ घरेलू नातदारी की श्रेणी में आती है अथवा नहीं एवं क्या विपक्षीगण द्वारा आवेदिका के विरूद्ध घरेलू हिंसा का कृत्य कारित किया गया है अथवा नहीं। जहां तक घरेलू हिंसा कारित किये जाने का प्रश्न है परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान में विपक्षीगण द्वारा अपने साथ घरेलू हिंसा कारित किये जाने का सशपथ कथन किया गया है। जिस पर विपक्षीगण द्वारा अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है इस कारण परिवादिनी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा पत्रावली पर जिला संरक्षण अधिकारी / जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा प्रेषित घरेलू हिंसा से सम्बन्धित आख्या पत्रावली पर संलग्न है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादिनी के विरुद्ध घरेलू हिंसा का कृत्य कारित किया गया है। घरेलू हिंसा को उक्त अधिनियम की धारा–3 में परिभाषित किया गया है और इसमें न केवल शारीरिक दुरुपयोग बल्कि लैगिक, भावात्मक एवं आर्थिक दुरुपयोग के समस्त आयाम को भी सम्मिलित किया गया है। यह परिभाषा स्वयं में व्यापक है। इसमें विपक्षी के ऐसे सभी आचरण एवं व्यवहार को समाहित किया गया है, जिससे कि महिला की भावनाएं आहत होती हो। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एक कल्याणकारी विधायन है, जिसका सृजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (3) की मंशा के अनुरूप किया गया है तथा इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसी महिलाओं की जो कुटुम्ब के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा से पीड़ित है, उनके अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण के लिए है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी विपक्षी संख्या 1 की पत्नी है। परिवादिनी द्वारा विपक्षी संख्या 1 की माली हालत तथा आय के स्रोत के सम्बन्ध में पत्रावली पर ऐसा कोई सुसंगत तथा

ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे विपक्षी संख्या 1 की माली हालत स्पष्ट हो सके। परंतु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि परिवादनी विपक्षी संख्या 1 की पत्नी है तथा विपक्षी का यह नैतिक दायित्व है कि वह परिवादनी को भरण पोषण धन अदा करें, उसके रहने की सुविधा उपलब्ध करायें।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि परिवादिनी के साथ घरेलू हिंसा कारित किया गया है । उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि परिवादनी का परिवाद भागत: एकपक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि परिवादनी का परिवाद भागत: एकपक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिनी का वाद एकपक्षीय रूप से अप्ज्ञात किया जाता है तथा विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि–

1. विपक्षीगण वादिनी के साथ किसी प्रकार से घरेलू हिंसा कारित ना करें।
2. विपक्षी संख्या 1 को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह वादिनी को जिस गृहस्ती से बेदखल किया है उसी स्तर के रहने की व्यवस्था करें अन्यथा 2,000/–रूपये(दो हजार) मासिक किराया, प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वादिनी को प्रदान करें।
3. विपक्षी संख्या 1 वादिनी के भरण पोषण हेतु प्रत्येक माह 3,000/–रूपये (तीन हजार),प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वाद योजित के दिनांक से भरण–पोषण के लिए अदा करें।
4. विपक्षी संख्या 01 को ओदशित किया जाता है कि वह घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप हुए खर्चे व हानि के लिए व घरेलु हिंसा के कृत्य द्वारा कारित चोटे, जिनमें मानसिक संताप व भावनात्मक कष्ट सम्मिलित है, के लिए अंकन एक मुश्त 50,000/– रूपये (50 हजार रूपये) परिवादिनी को निर्णय के एक माह के भीतर अदा करें।

यदि वादिनी को अन्य कहीं से भरण –पोषण की राशि प्राप्त हो रही है तो उक्त धनराशि में समायोजित की जाएगी।

निर्णय की एक प्रति जिला प्रोबेशन/ संरक्षण अधिकारी को प्रेषित की जाए तथा एक प्रति आवेदिका को नियमानुसार दी जाए।

दिनांकः– 28.08.2023

(स्वाति सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,कोर्ट सं0 –02, मेरठ।

JO CODE- UP 2567

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः– 28.08.2023

(स्वाति सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,कोर्ट सं0 –02, मेरठ।

JO CODE- UP 2567

This is uncertified copy for information/reference for authentic copy please refer to certified copy only.